संख्या:-40/2023/001-72आ0-23-5-23-27(भवन)/2021टीसी

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, गोण्डा, प्रतापगढ़, झांसी, आजमगढ़ व शाहजहांपुर के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 12 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1218बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 14.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद लखनऊ, गोण्डा, प्रतापगढ़, झांसी, आजमगढ़ व शाहजहांपुर के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 12 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि **रू0 99.63 लाख(रू0 निन्यानबे लाख तिरसठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/ पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(धनराशि लाख रू0 में)				
1	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0, लखनऊ स्थित मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग के कक्ष में विभिन्न कार्य। **(विद्युत कार्य)**	02.15	0.01	02.14	01.00	01.14	01.14
2	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ के मध्य विंग(ओल्ड) के द्वितीय तल पर स्थित विभिन्न कक्षों(कक्ष संख्या-201, 204, 205, 206, 207, 211, 212, व 213) में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	15.16	0.05	15.11	10.00	05.11	05.11
3	147/2021/436आ0/23-5-21-27(भवन)/2021टीसी दिनांक 28.12.2021	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता परिसर स्थित अधीक्षण अभियन्ता, दशम वृत्त के कार्यालय कक्ष संख्या उ-218 में	03.71	0.02	03.69	02.00	01.69	01.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विविध कार्य।**(विद्युत कार्य)**						
4	126/2021/365आ0/23-5-21-21 (भवन)/2020टीसी दिनांक 23.11.2021	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता परिसर स्थित मुख्य अभियन्ताओं (मध्य जोन, भवन सेल, वि0/यॉ0 एवं सेतु) अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सामान्य) के कक्ष एवं अधिष्ठान 'क' वर्ग कार्यालय कक्ष में विभिन्न सिविल कार्य।**(विद्युत कार्य)**	22.47	0.08	22.39	11.24	11.15	11.15
5	145/2021/411आ0/23-5-21-27 (भवन)/21, दिनांक 28.12.2021	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लो0नि0वि0 लखनऊ के मध्य विंग के द्वितीय तल पर स्थित कक्ष संख्या-203 (लेखा वर्ग सी0सी0एल0) में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	03.25	0.01	03.24	02.00	01.24	01.24
6	04/2022/17आ0/23-5-22-27 (भवन)/20, दिनांक 07.01.2022	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय परिसर स्थित नवीन भवन के अधोतल एवं भूतल पर विभिन्न सिविल कार्य। **(विद्युत कार्य)**	02.09	0.01	02.08	01.00	01.08	01.08
7	121/2021/323आ0/23-5-21-06 (भवन)/18टीसी-1, दिनांक 28.10.2021	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय भवन के मध्य विंग के द्वितीय तल पर स्थित कक्ष सं0-208 व 209 (लेखा वर्ग एवं लेखा वर्ग सी0सी0एल0) में पुन: विद्युतीकरण का कार्य।	06.92	0.01	06.91	03.46	03.45	03.45
8	145/2021/411आ0/23-5-21-27 (भवन)/21, दिनांक 28.12.2021	वजीरगंज निरीक्षण भवन के विशेष मरम्मत का कार्य।	10.86	0.00	10.86	07.00	03.86	03.86
9	04/2022/17आ0/23-5-22-27 (भवन)/20, दिनांक 07.01.2022	निरीक्षण भवन पट्टी, प्रतापगढ़ की मरम्मत का कार्य।	11.69	0.09	11.60	01.50	10.10	10.10
10	145/2021/411आ0/23-5-21-27 (भवन)/21, दिनांक 28.12.2021	झांसी में सर्किट हाउस, झांसी में जीर्णोद्धार एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	39.90	0.30	39.60	26.00	13.60	13.60
11	04/2022/17आ0/23-5-22-27 (भवन)/20, दिनांक 07.01.2022 एवं 57/2022/001-125 आ0-001-23-5-22-27(भवन)/2020 दिनांक 12.09.2022	सर्किट हाउस आजमगढ़ के पुन: विद्युतीकरण व अन्य उपकरण बदलने का कार्य।	52.41	01.13	51.28	31.41	19.87	19.87
12	04/2022/17आ0/23-5-22-27 (भवन)/20, दिनांक 07.01.2022	शाहजहांपुर स्थित प्रान्तीय खण्ड व निर्माण खण्ड-2 के कार्यालय भवन की विशेष मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई का कार्य।	33.92	03.58	30.34	03.00	27.34	27.34
योग :-							**99.63**	**99.63**

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 99,63,000(रूपये निन्यानबे लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-40/2023/001-72आ0(1)/23-5-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी लखनऊ, गोण्डा, प्रतापगढ़, झांसी, आजमगढ़ व शाहजहांपुर।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, गोण्डा, प्रतापगढ़, झांसी, आजमगढ़ व शाहजहांपुर।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉं0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र, झांसी क्षेत्र व बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, 30वां वि0/यॉं0 वृत्त, गोण्डा वृत्त, प्रतापगढ़-फतेहपुर वृत्त, झांसी वृत्त, 44वां वि0/यॉं0 वृत्त व बरेली वृत्त, लो0नि0वि0।
13- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0इ0अनु0(वि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गोण्डा।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झांसी।
17- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉं0 खण्ड, लो0नि0वि0, आजमगढ़।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहांपुर।
19- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।